राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1976/2025

पिस्ता कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक	:	05.03.2025
उपस्थिति :–		
अपीलार्थी की ओर से	:	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से	:	श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर की गयी थी। कार्यालय आदेश दिनांक 27.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दयारामपुरा, बस्सी में कार्य ग्रहण करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेश में शर्त संख्या–1 निम्न प्रकार से अंकित है :–

   > ''कार्मिक द्वारा 1 जनवरी की स्थिति में इस वर्ष का अचल सम्पत्ति विवरण ऑन लाईन भर दिया गया है। यदि कार्मिक ने ऑन लाईन आईपीआर प्रस्तुत नहीं किया है तो आईपीआर भरवाने के उपरान्त ही कार्य ग्रहण करावें।''

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने ऑन लाईन आईपीआर प्रस्तुत करने का पर्यत्न किया था, परन्तु ऑन लाईन आईपीआर नहीं भर पाया। अपीलार्थी द्वारा ऑन लाईन आईपीआर नहीं भरे जाने के कारण अपीलार्थी को नये पदस्थापित स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं करवाया जा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ऑफलाईन आईपीआर भरने के लिये तैयार है।

4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. उपरोक्त परिस्थितियों में इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी यदि ऑफलाईन आईपीआर प्रस्तुत करता है तो अपीलार्थी को नई पदोन्नति स्थान पर कार्यग्रहण कराया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण करने के पश्चात एक माह के भीतर अपीलार्थी को ऑनलाईन आईपीआर भरने के लिये पोर्टल उपलब्ध कराया जाए।
6. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष